न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला-नागौर

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या - 66 / 2022

प्रार्थीगण -
1. ईलमुदीन पुत्र शकुर मोहम्मद उर्फ सुकर खान
2. मोहम्मद यूनूस पुत्र शकुर मोहम्मद उर्फ सुकर खान
3. मैना पत्नि शकुर मोहम्मद उर्फ सुकर खान
4. रजिया बनो पुत्री शकुर मोहम्मद उर्फ सुकर खान

जाति लुहार मुसलमान निवासी पातेली तहसील जायल ,जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण -
1. मुनीरदीन पुत्र उस्मान
   जाति लुहार मुसलमान निवासी पातेली तहसील जायल जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
3. उप पंजीयक जायल

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित : 1. श्री मुकेश बिडियासर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह कालवी अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

: : - **निर्णय** - : :

दिनांक: 4/10/2022

1- प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 के बडेर के खताय मौजा पातेली के ख.न. 139 रकबा 3.5369 हैक्टेयर, ख.न. 213 रकबा 1.5378 हैक्टेयर रहती चली आई है। जिनकी खातेदारी प्रार्थीगण के पिता व पति शकुर मोहममद व एवं अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 का विधि अनुसार हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज खातेदारी मे दर्ज खेत ख.न. 139 रकबा 3.5369 हैक्टेयर, खेत ख.न. 213 रकबा 1.5378 हैक्टेयर होने से प्रार्थीगण के पिता को बहला फुसलाकर खेत ख.न. 213 का हकत्याग अप्रार्थी सं. 1 ने अपने पक्ष मे करवा लिया तथा बिना लीज करवाये चाईना वले की माईन्स चला रहा है। उक्त खेत मे हमारे पिता/पति के साथ हमारा भी कानूनी हक हिस्सा था जो हमारे पिता के अकेले के खातेदारी में दर्ज होने से हमारे कानूनी हक हिस्से सहित हकतर्क करवा लिया। अप्रार्थी सं. 1 खेत ख.न. 139 मे सहखातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण के पिता को बहलाफुसला कर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने तथा किसी अन्य को बैचान करने पर आमदा है। जिस कारण प्रार्थीगण को वाद लाना लाजमी आया तथा यह प्रार्थना पत्र बाबत अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ।

अप्रार्थीगण सं. 1 के द्वारा प्रार्थीगण को [illegible] करने के लिये भूमि का बैचान करने की दिनांक 16.06.2022 को गांव मे उक्त [illegible] करने से तथा प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से की भूमि का विभाजन करवा[illegible] पिता होने पर वाद [illegible] पोषणा खातेदारी का तथा यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि [illegible]रत भूमि पक्षकारान की [illegible] भूमि होने से मामला प्रथम दृष्टया तथा अप्रार्थीगण सं. 1 द्वारा प्रार्थीगण के पिता से बाले बाले बहलाफुसलाकर अपने पक्ष मे हक तर्क करवाकर किसी अन्य को बैचान करने से सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष मे अप्रार्थी सं. 1 को मौजा पातेली के ख.न. 139 व 213 की भूमि के किसी भाग का किसी प्रकार का हस्तांतरण बैचान, दान आदि नहीं करने तथा खनन नहीं करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

2– प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एक पक्षिय बहस सुनी जाकर अप्रार्थीगण को मौजा पातेली के ख.न. 139 रकबा 3.5369 हैक्टेयर तथा ख.न. 213 रकबा 1.5378 हैक्टेयर का बैचान हस्तांतरण दान रहन आदि नहीं करने तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई अंतरिम व्यादेश से पाबन्द किया जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3– मुतदाविया खेताय के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्तागण सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि भूमिया पुश्तैनी है तथा अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीगण के पिता को बहलाफुसलाकर अपने पक्ष मे हकत्याग करवा लिया। अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे किये गये हक त्याग को निरस्त करवाने बाबत प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायलय मे वाद दायर करवाया हुआ है। अप्रार्थी सं. 1 ख.न. 213 की खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज होने किसी अन्य को बैचान करने पर आमदा है जो कि पुश्तैनी भूमि होने तथा प्रार्थीगण का विधि अनुसार हक हिस्सा निहित होने से प्रार्थीगण को नुकसान होने की सम्भावना होने से अप्रार्थी को दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वकील अप्रार्थी सं. 1 ने प्रस्तुत जवाब के कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण के दादा व अप्रार्थी सं0 1 के पिता का 2009 में देहांत हो गया था। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी सं. 1 मुस्लिम जाति होने से मुस्लिम विधि से गवर्न होते है जिसमें पुश्तैनी भूमि जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। मुस्लिम विधि अनुसार पिता अपने जीवन काल में अपने हिसाब भूमि का उपयोग उपभोग कर सकता है। ख.न. 213 मे प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है यह भूमि अकेले अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है, तथा ख.न. 139 मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 का 1/2– 1/2 भाग निहित रहता आया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वशांवली मे स्व. उस्मान की पुत्रियों को वंशावली मे नही दर्शाया है। उक्त भूमिया पहले प्रार्थीगण के दादा व अप्रार्थी सं.0 1 के पिता उस्मान के नाम दर्ज रही है जिनकी फोतगी पर उक्त भूमिया प्रार्थीगण के पिता तथा अप्रार्थी सं0 1 तथा उस्मान की पत्नि व पुत्रियो के नाम इंतकाल खोला गया बाद में दिनांक 30.03.2009 प्रार्थीगण के पिता/पति व अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में गलकू बेवा उस्मान, तथा उनकी बहनो भवरी मुनी चांदू, कुर्शिदा, बतुल शहनाज व बाया ने अपना हिस्सा जरिये हक तर्क त्याग दिया। जिसका नामांतकरण स. 244 दिनांक 05.06.2009 को भरा गया। इसके बाद प्रार्थीगण के पिता ने ख.न. 213 मे से अपना हिस्सा 17.12.2012 को अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे कर दिया क्योंकि प्रार्थीगण के पिता/पति ने आधा हिस्से की ऐवज में अन्य [illegible] पक्षकारान मुस्लिम समुदाय के होने से मुस्लिम विधि अनुसार पुश्तैनी भूमि [illegible] द्वारा वाद कारण उत्पन्न नहीं होने तथा खारिज योग्य है। यहा मामला पुश्तैनी भूमि का नहीं [illegible] हक तर्क निरस्त करवाने का होने से इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रकरण खारिज योग्य [illegible] प्रार्थीगण का ख.न. 213 की भूमि मे किसी प्रकार का हक हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं रहा है। मात्र ख.न. 139 की भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा ही निहित है जिसका वे विभाजन एवं घोषणा करवाने अप्रार्थी को कोई आपति नहीं है। प्रार्थीगण अप्रार्थी की खातेदारीसुदा भूमि में जबरन कब्जा करने एवं खनन नहीं करने की धमकिया देने से अप्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

अपूर्णीय क्षति होगी तथा अप्रार्थी ख.न. 213 व 139 मे खातेदार काश्तकार दर्ज होने से उसके हक अधिकारों को जरिये निषेधाज्ञा से हनन किया जाना न्यायोचित नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें

6– पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दलीलों एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड के अवलोकन करने पर प्रकरण हाजा में यह प्रतीत होता है कि आराजी भूमियां प्रार्थीगण के पिता/पति व अप्रार्थी सं. 1 के पिता उस्मान ने नाम खातेदारी मे दर्ज रही थी जिनके इन्तकाल पर उस्मान के वारिसान के नाम जरिये फोतगी नामान्तकरण के खातेदारी दर्ज हुई जिसमे से खातेदार उस्मान की पत्नि व पुत्रियों ने अपना हिस्सा प्रार्थीगण के पिता/पति व अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे तर्क कर दिया जिससे सम्पूर्ण वादग्रस्त खेताय की खातेदारी प्रार्थीगण के पिता/पति तथा अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज हुई है। वादग्रस्त खेताय ख.न. 213 मे से प्रार्थीगण के पिता/पति न अपना हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में तर्क कर देने से ख.न. 213 की खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज हुई है। पक्षकारान मुस्लिम समुदाय से आते है जहा पिता अपने जीवन काल में उसके बंट मे आई हुई भूमियों का उपयोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है तथा मुस्लिम विधिनुसार पुश्तैनी भूमि की व्यवस्था नही है। प्रार्थीगण के पिता/पति द्वारा अपने खातेदारी अधिकारो के उपयोग के लिय स्वतंत्र होने से अपने हक हिस्से की भूमि का अपने भाई के पक्ष मे हकत्याग किया गया। मामला प्रथम दृष्टया हकत्याग की गई भूमि खातेदारी प्राप्त करने का है तथा हकत्याग सक्षम प्राधिकारी के तर्क किया गया है जिसकी सुनवाई सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से राजस्व न्यायालय में सुनवाई की जाना उचित प्रतीत नहीं होती है। मुस्लिम विधिनुसार पुश्तैनी भूमि संबंधि कोई व्यवस्था नहीं होने से तथा अप्रार्थी स्वयं ख.न. 213 व 139 का खातेदार काश्तकार होने से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे ना होकर अप्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है तथा खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थगन आदेश पारित कर उसके हक अधिकारों से वंचित करने से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष मे ना होकर अप्रार्थी के पक्ष मे जाता है जिससे अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सीपीसी का सारहिन व मिथ्या होने से स्वीकार योग्य नहीं हाने से खारिज किया जाता है तथा दिनांक 23/6/2022 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को [illegible] जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:17 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला–नागौर

निर्णय आज दिनांक 4/10/22 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला–नागौर